

अंकेक्षण अध्याचन संख्या : Camp-GDC—Mandi -2021-33,

दिनांक 7-10-2021

सेवा में ,

✓ प्राचार्य,
राजकीय वल्लभ महाविद्यालय,
मंडी, जिला मंडी ।

विषय : राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मंडी के अवधि 04/2015 से 03/2021 के दौरान छात्रों से वसूल किए गए निधि शुल्कों में पाई गई अनियमितताओं बारे

महोदय,

आपकी संस्था के अंकेक्षण अवधि 1-4-2015 से 31-3-2021 के दौरान जांच करने पाई गई अंकेक्षण आसियाँ का विवरण निम्न बिन्दुओं में दिया गया है:-

(1) विश्वविद्यालय विकास शुल्क की राशि को विश्वविद्यालय को समय पर प्रेषित न करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 1-4-2015 से 31-3-2021 के दौरान जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से विश्वविद्यालय विकास शुल्क की वसूली निर्धारित दरों पर की गई थी । परन्तु वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक वसूल किए गये शुल्क की राशि को विश्वविद्यालय को समय पर प्रेषित नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है ।

वर्ष	छात्रों से प्राप्त की गई राशि का विवरण	विश्वविद्यालय में जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
2015-16	895800	1986000	-1090200
2016-17	1048350	83450	964900
2017-18	559850	-----	559850
2018-19	515000	-----	515000
2019-20	528040	-----	528040
2020-21	481750	-----	481750
कुल योग	4028790	2069450	1959340

1091
राजकीय

(4) होलिडे होम निधि की अधिक वसूली करने बारे :

अंकेक्षण अवधि 1-4-2015 से 31-3-2021 तक के दौरान जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से होलिडे होम निधि की वसूली रु 2 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से वसूल किए गए थे जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या : EDN-A-KHA-(8)2001 दिनांक : 1-6-2010 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होलिडे होम निधि की वसूली रु 1 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की जानी अपेक्षित थी। नियमों के विपरीत अधिक वसूल की गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है :-

वर्ष	वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि	अधिक वसूली गई राशि
2015-16	$4758 \times 2 = 9516$	$4758 \times 1 = 4758$	4758
2016-17	$5172 \times 2 = 10344$	$5172 \times 1 = 5172$	5172
			9930

(5) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की अनाधिकृत वसूली बारे :-

अंकेक्षण अवधि 1-4-2015 से 31-3-2021 तक के दौरान जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा वर्ष 2020-21 में छात्रों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से रु 50 प्रति छात्र वसूल किए गए थे जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या : EDN-A-KHA-(8)2001 दिनांक : 1-6-2010 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली का कोई प्रावधान नहीं था। अतः नियमों के विपरीत वसूल की गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है :-

वर्ष	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस
2020-21	$5828 \times 50 = 291400$
योग	291400

(6) जुर्माना विवरणियाँ प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2021 के दौरान सहायक प्रोफेसरों द्वारा तैयार की गई जुर्माना विवरणियाँ को संकलित करके तैयार की गई जुर्माना विवरणियाँ अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में वसूले गए जुर्माने की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। वसूली गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है

वर्ष	जुर्माना निधि
2015-16	88251
2016-17	72723
2017-18	72746
2018-19	40171
2019-20	115546
2020-21	-----
योग	389437

(7) फीस कलेक्शन रजिस्टर का रख रखाव न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा फीस कलेक्शन रजिस्टर का निर्माण नहीं किया जा रहा है छात्रों से प्राप्त राशि की पूर्ण विवरणी को रसीदों सहित विभिन्न फाइलों में लगा कर रखा गया था जोकि अनुचित है अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में फीस कलेक्शन रजिस्टर को वार्षिक आधार पर बंधित करके तैयार किया जाए।

(8) सावधि जमा निवेश राशि की परिपक्वता पर काटे गए टी.डी.एस. बारे :-

अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2021 के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेश से संबंधित रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई विभिन्न निधियों की राशि को समय-समय पर बैंक में एफडीआर के रूप में रखा गया था तथा बैंक द्वारा विभिन्न एफडीआर की परिपक्वता पर बैंक द्वारा रु 273922 की राशि को टी.डी.एस. के रूप में काटा गया था जिसके रिफ़ण्ड के बारे में बैंक से मामला उठाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए।

(2) सोसाइटी क्लब फंड की अनाधिकृत वसूली बारे :-

अंकेक्षण अवधि 1-4-2015 से 31-3-2021 तक के दौरान जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से सोसाइटी क्लब फंड के नाम से प्रतिवर्ष रु 5 प्रति छात्र वसूल की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या : EDN-A-KHA-(8)2001 दिनांक: 1-6-2010 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सोसाइटी क्लब फंड निधि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं था। नियमों के विपरीत वसूल की गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है :-

वर्ष	सोसाइटी क्लब फंड
2015-16	4758 X 5 = 23790
2016-17	5172 X 5 = 25860
2017-18	5450 X 5 = 27250
2018-19	5635 X 5 = 28175
2019-20	6208 X 5 = 31040
2020-21	5828 X 5 = 29140
योग	165255

(3) फर्निचर रिपेर व रिप्लेसमेंट निधि की अधिक वसूली करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 1-4-2015 से 31-3-2021 तक के दौरान जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से फर्निचर रिपेर और फर्निचर रिप्लेसमेंट के नाम से रु 10-10 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र अलग-अलग से वसूल किए गए थे जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या : EDN-A-KHA-(8)2001 दिनांक : 1-6-2010 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार फर्निचर रिपेर व रिप्लेसमेंट निधि की वसूली रु 10 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की जानी अपेक्षित थी। नियमों के विपरीत अधिक वसूल की गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है :-

वर्ष	फर्निचर रिपेर व रिप्लेसमेंट निधि
2015-16	4758 X 10 = 47580
2016-17	5172 X 10 = 51720
योग	99300

Letter No : Fin (LA)-GDC MANDI-12/21- 36

Dated 01-12-2021.

To

The Principal,
Govt. Degree College,
Mandi Distt. Mandi (HP).

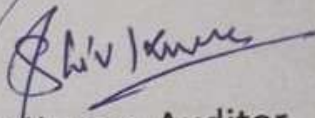
Subject : Regarding recommencement of Audit of Accounts of fee and funds
for the period 4/2015 to 3/2021.

Sir,

On the subject cited above, it is intimated that, the Audit party will recommence the audit of fee and fund A/c's of your college for the period 1.4.2015 to 31.3.2021. It is, therefore requested that record pertaining to audit kept ready please.

Dated : 01-12-2021.

Yours faithfully,

for, 

Lalit Kumar, Auditor.

State Audit Department HP.

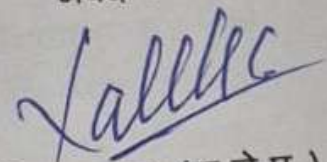
M.No : 70182-49844.

(9) रेड क्रॉस निधि के खाता सख्या 34990135641 चालू खाता रखने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2021 के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक खाता विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि महाविध्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई रेड क्रॉस निधि कि राशि को खाता सख्या 34990135641 चालू खाते में जमा करवाया जा रहा है जिसमे की महाविध्यालय को ब्याज की हानि हो रही है । महाविध्याय प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि चालू खाते को बचत खाते में प्रवर्तित करके अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए ।

अतः आप उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण आपतियों बारे अंकेक्षण दल को अंकेक्षण समाप्ती से पूर्व अवगत करवाए, ताकि अंकेक्षण आपतियों का निस्तारण किया जा सके ।

भवदीय



ललित कुमार (क.ले.प.)
राज्य लेखा परीक्षा विभाग।
कैम्प : GDC Mandi

3. फर्निचर रिपेर व रिप्लेसमेंट निधि की अधिक बसूली बारे:-

उक्त विन्दू के संदर्भ में प्रस्तुत है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी बसूली फर्निचर रिपेर व रिप्लेसमेंट निधि छात्रों से नहीं ली जाएगी। इसे पूर्णतः बन्द कर दिया गया है।

4. होलिडे होम निधि की अधिक बसूली करने बारे:-

इस बारे प्रस्तुत है कि यह निधि भविष्य के लिए अब लेना बन्द कर दी गई है।

5. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की अनाधिकृत बसूली बारे:-

इस बारे प्रस्तुत है कि यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस रु. 50 / Prospectus Fee के रूप में लिए गये थे क्योंकि Off Line प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों को Prospectus Fee के रूप में रु. 50 / का वहन करना पड़ता है। अतः जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर के प्रवेश लिया है उन से यह शुल्क लिया गया है।

6. जुर्माना विवरणियाँ प्रस्तुत न करने बारे :-

इस बारे प्रस्तुत है कि जुर्माना विवरणियाँ सहायक प्रोफेसरों द्वारा संकलित करके इन्हे भविष्य के लिए फाइल के साथ संगलन किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

7. फीस कलेक्शन रजिस्टर का रख रखाव न करने बारे :-

इस बारे प्रस्तुत है कि फीस कलेक्शन रजिस्टर दैनिक पावतियाँ के रूप में दिनांकशः एकत्रित किया जाता है तथा फाइल में नत्थी किया जाता है। जिससे कि कार्यालय अभिलेख के लिए आसानी रहती थी। लेकिन फिर भी आप के द्वारा फीस कलेक्शन रजिस्टर के रख रखाव के लिए दिये गये सुझाव को भविष्य के लिए अम्ल में लाया जाएगा।

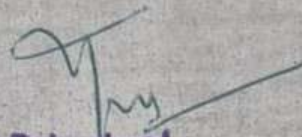
8. सावधि जमा निवेश राशि की परिपक्वता पर काटे गये टी.डी.एस. बारे :-

इस बारे प्रस्तुत है कि सावधि जमा निवेश राशि की परिपक्वता पर काटे गये टी.डी. एस. को रिफण्ड करने लिए सम्बन्धित बैंक शाखा को कार्यालय के पत्र सं. No. EDN-GCM (Funds)-2021/ Dated 21-01-2022 के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है, तथा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का क्रम जारी है। अतः आप के द्वारा गये सुझाव को अम्ल में ला कर निकट भविष्य में काटे गये टी.डी.एस. को रिफण्ड कर लिया जाएगा।

9. रेड कॉस निधि के खाता सं. 34990135641 चालू खाता रखने बारे :-

इस बारे प्रस्तुत है कि रेड कॉस निधि के खाता सं. 34990135641 जो कि चालू खाता है को बचत खाता में परिवर्तित करने के लिए सम्बन्धित बैंक शाखा को कार्यालय के पत्र सं. No. EDN-GCM (Funds)-2021/ Dated 15-01-2022 के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है, तथा इस हेतु बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात जल्द ही आपके सुझाव की अनुपालना करके उक्त खाते को बचत खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण आपतियों के निस्तारण हेतु पत्र आगामी आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।


Principal
Vallabhnagar Govt. College
Mandi, Distt. Mandi (H.P.)

कमांक ई.डी.एन. जी.सी.एम.(शुल्क), 2021 ¹⁷²⁴
वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मण्डी, ⁵⁻²⁻²²
जि० मण्डी हि० प्र०।
E mail: vgcmandi@yahoo.com Ph. No. 01905-235505

दिनांक मण्डी, 28.01.2022

सेवा में

ललित कुमार (क. ले. प.)
राज्य लेखा परीक्षा विभाग।
कैम्प : GDC Mandi.

विषय : राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मंडी के अवधि 04/2015 से
03/2021 के दौरान जारी की गयी अंकेक्षण अधियाचनाओं बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा जारी की गयी विभिन्न अंकेक्षण
अधियाचनाओं के प्रतिउत्तर निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

1. अंकेक्षण अधियाचना संख्या : Camp-GDC—Mandi -2021-19 दिनांक
11-08-2021 के बारे में प्रस्तुत है कि अंकेक्षण शुल्क की राशी
डिमांड ड्राफ्ट संख्या 926336 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा पंजीकृत
डाक के माध्यम से भेज दी गयी है।
2. अंकेक्षण अधियाचना संख्या : Camp-GDC—Mandi -2021-33 दिनांक 07-
10-2021 के बारे में निम्न प्रतिउत्तर प्रस्तुत है :-

(1). विश्वविद्यालय विकास शुल्क की राशि को विश्वविद्यालय को समय
पर प्रेषित न करने बारे :- इस बारे प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय द्वारा जब
विश्वविद्यालय विकास शुल्क की राशि की मांग की गई तभी उक्त शुल्क
को बिना विलंब किये प्रेषित किया गया है।

(2). सोसाइटी क्लब फंड की अनाधिकृत बसूली बारे :- इस बारे प्रस्तुत है कि सोसाइटी
क्लब फंड जो इससे पहले लिया जाता था उसे अब छात्रों से लेना पूर्णतः बन्द कर दिया
गया है।